अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
22/08/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-85/2019** **बीबी सुन्नती बेगम.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद बीबी सुन्नती बेगम, पति-मो0 फुरकेन अहमद, सा0-मोकराही, थाना-किशनपुर, जिला-सुपौल के द्वारा समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-06/2017 में दिनांक 14.09.2019 एवं उक्त आदेश के अनुपालन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के पत्रांक 1212 दिनांक 26.10.2010 से वादी के चयन को रद्द किये जाने से संबंधित आदेश के विरूद्ध दायर किया किया गया है। संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :- सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2006 के आलोक में दिनांक 29.06.2009 को बाल विकास परियोजना, किशनपुर के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-113 के सहायिका के पद पर पुनरीक्षणकर्त्ता का चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध दिनांक 10.02.2015 को श्रीमती उर्मिला देवी, पति-स्व0 सुर्यनारायण राम, सा0-मोकराही, पो0-कदमपुरा, प्रखंड-किशनपुर, जिला-सुपौल के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के समक्ष वाद दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 04.08.2017 को प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा आदेश पारित करते हुए विभागीय मार्गदर्शिका, 2006 के कंडिका-04 के आलोक में उक्त वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल में आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-06/2017, उर्मिला देवी बनाम प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 14.09.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के वाद सं0-05/2015 के आदेश को वैध एवं नियमानुकूल नहीं पाते हुए निरस्त	

करते हुए सहायिका के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को रिमाण्ड किया गया। तदालोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के पत्रांक 1212/जि0प्रो0, दिनांक 26.10.2019 से पुनरीक्षणकर्त्ता का चयन रद्द करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर को सुन्नती बेगम तत्कालीन सहायिका केन्द्र संख्या-113, परियोजना किशनपुर को कार्यरत अवधि से अद्यतन तक भुगतान किये गये मानदेय की सम्पूर्ण राशि की वसूली करने का निदेश दिया गया। उपरोक्त आदेशों के पुनरीक्षण हेतु यह वाद लाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि चयन के लगभग 07 वर्ष कार्य करने के उपरान्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आक्षेपित आदेश पत्रांक-1212 दिनांक 26.10.2019 के द्वारा मेरे सहायिका के पद पर आमसभा के द्वारा किये गये चयन को रद्द कर दिया गया। उनका कहना है कि मार्गदर्शिका, 2006 एवं 2008 में सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मात्र साक्षर होना निर्धारित है, इसलिए सहायिका द्वारा दिये गये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण को गढ़ा हुआ तथा फर्जी होने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षणकर्त्ता का यह भी कहना है कि आमसभा में सहायिका के पद पर चयन हेतु वह एकमात्र आवेदिका थी, जिस कारण साक्षर होने के आधार पर सर्वसम्मति से उनका चयन किया गया। विपक्षी सं0-05 के द्वारा अनावश्यक रूप से आधारहीन आरोप के आधार पर परिवाद दायर किया गया, जिसकी जाँच विज्ञ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल की गई तथा जाँचोपरान्त अन्य सभी तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा आदेश पारित किये जाने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल उक्त आदेश को समझ पाने में असमर्थ रहे तथा सहायिका का चयन रद्द करने के साथ ही उनके द्वारा किये गये कार्य अवधि का मानदेय वसूलने का गैरकानूनी आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर को दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे एक गरीब महिला है तथा 05 बच्चियाँ तथा बच्चे इन्हीं पर आश्रित हैं। तदालोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने तथा उनके चयन को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य / कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता को उनके द्वारा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने को

अपराधिक कृत्य मानते हुए उनका चयन रद्द किया जाना नियमानुसार सही है। अतः इस संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2349 /विधि सहरसा, दिनांक 23-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-85/2019 में दिनांक-22.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-06/2017 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-05 पन्ना अन्य कागजात-77 पन्ना कुल-82 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-85/2019 में दिनांक-22.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-05/2015 से संबंधित अभिलेख कुल-83 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- बीबी सन्नती बेगम, पति-मो0 फुरकेन अहमद / उर्मिला देवी, पति-सूर्यनारायण राम, दोनों सा0-मोकराही, थाना-किशनपुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।